



-प्रेस नोट-
“ऑपरेशन सवेरा”

दिनांक- 22.12.2025



“नशे के अंधकार से जीवन के उजाले की ओर”

!! सहारनपुर पुलिस की नशा तस्करो के विरुद्ध बड़ी कार्यवाही !!

थाना चिलकाना पुलिस द्वारा मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले 01 शातिर अन्तर्राज्यीय गौकश/ नशा तस्कर/अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार, कब्जे से कुल 38 ग्राम अवैध स्मैक (अनुमानित कीमत करीब 7.5 लाख रुपये) बरामद

अवगत कराना है कि श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक, सहारनपुर परिक्षेत्र, सहारनपुर द्वारा परिक्षेत्र सहारनपुर में मादक पदार्थों/नशे के अवैध कारोबार, प्रतिबन्धित दवाओं की तस्करी, बिक्री पर प्रभावी रोकथाम के लिए ठोस एवं समन्वित कार्यवाही हेतु परिक्षेत्र सहारनपुर के तीनों जनपदों में “ऑपरेशन सवेरा” – “नशे के अंधकार से जीवन के उजाले की ओर” अभियान चलाया जा रहा है व शासन द्वारा मिशन शक्ति 5.0 अभियान के अन्तर्गत नशा तस्करो के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही करने हेतु आदेशित किया गया है।

इसी क्रम में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण में तथा थानाध्यक्ष श्री विनोद कुमार के कुशल नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा दिनांक 21.12.2025 को गस्त/चैकिंग के दौरान मादक पदार्थों की तस्करी करने वाला 01 शातिर अन्तर्राज्यीय गौकश/नशा तस्कर अभियुक्त जीशान पुत्र अख्तर निवासी ग्राम दुमझेडा थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर को दुमझेडा से नल्हेडा जाने वाले रास्ते से गिरफ्तार किया गया। जिसके कब्जे से कुल 38 ग्राम अवैध स्मैक बरामद हुई। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध थाना चिलकाना पर मु0अ0स0 368/25 धारा 8/21/29 एनडीपीएस एक्ट के पंजीकृत किया गया। अभियुक्त उपरोक्त द्वारा मादक पदार्थों के अवैध कारोबार के संबंध में FORWARD AND BACKWARD लिंको की जाँच की जा रही है। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्क विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता:-

जीशान पुत्र अख्तर निवासी ग्राम दुमझेडा थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर।

बरामदगी का विवरण:-

➤ 38 ग्राम अवैध स्मैक

गिरफ्तार अभियुक्त जीशान का आपराधिक इतिहास:-

1. मु0अ0सं0 346/2004 धारा 380/411 भादवि थाना मण्डी जिला सहारनपुर।

2. मु0अ0सं0 128/12 धारा 279/336 भादवि व 3/8 सीएस एक्ट थाना बूडिया जिला यमुनानगर (हरियाणा) ।
3. मु0अ0सं0 102/13 धारा 279/336 भादवि व 3/8 सीएस एक्ट थाना बूडिया जिला यमुनानगर (हरियाणा) ।
4. मु0अ0सं0 167/13 धारा 3/5/8 सीएस एक्ट थाना बेहट, सहारनपुर ।
5. मु0अ0सं0 139/17 धारा 420 भादवि 3/5/8 सीएसएक्ट व 11डी पशु क्रूरता अधि0 थाना चिलकाना सहारनपुर ।
6. मु0अ0सं0 180/17 धारा 18/20 एनडीपीएस एक्ट थाना चिलकाना, सहारनपुर ।
7. मु0अ0सं0 66/19 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना चिलकाना, सहारनपुर ।
8. मु0अ0सं0 394/20 धारा 379 भादवि सरसावा, सहारनपुर ।
9. मु0अ0सं0 395/20 धारा 414/465 भादवि सरसावा, सहारनपुर ।
10. मु0अ0सं0 396/20 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना सरसावा, सहारनपुर ।
11. मु0अ0सं0 429/20 धारा 174 ए भादवि थाना सदर जिला यमुनानगर (हरियाणा)
12. मु0अ0सं0 35/24 धारा 307/414 भादवि व 3/25/27 आर्म्स एक्ट चिलकाना, सहारनपुर ।
13. मु0अ0सं0 25/25 धारा 3/5/8 सीएस एक्ट चिलकाना, सहारनपुर ।
14. मु0अ0सं0 26/25 धारा 109(1) बीएनएस व 3/5/8 सीएस एक्ट व 3/25/27 आर्म्स एक्ट चिलकाना, सहारनपुर ।
15. मु0अ0सं0 59/25 धारा 109(1) बीएनएस व 3/5/8 सीएस एक्ट व 3/25/27 आर्म्स एक्ट चिलकाना, स0पुर ।
16. मु0अ0सं0 368/25 धारा 8/21/29 एनडीपीएस एक्ट थाना चिलकाना, सहारनपुर ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का विवरण-

1. थाना प्रभारी श्री विनोद कुमार थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर ।
2. उ0नि0 श्री चन्द्रपाल सिंह थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर ।
3. म0उ0नि0 सुमन थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर ।
4. है0का0 1052 कुलदीप कुमार थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर ।
5. है0का0 799 मोहित शर्मा थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर ।
6. का0 2331 लवलेश राठी थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर ।
7. का0 150 सौरभ पंवार थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर ।
8. म0का0 917 मनीता थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर ।



-प्रेस नोट-

दिनांक- 22.12.2025

थाना नांगल पुलिस द्वारा 01 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 01 अवैध तमंचा व 01 जिन्दा कारतूस .315 बोर बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध नियंत्रण हेतु अवैध शस्त्र रखने वाले व इनकी तस्करी में संलिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी देवबन्द के निकट पर्यवेक्षण में तथा थाना प्रभारी श्री राजकुमार चौहान के कुशल नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा संदिग्ध वाहन व्यक्ति चैकिंग के दौरान अभियुक्त कन्हैया कपिल पुत्र अमर कपिल निवासी ग्राम बसेडा थाना नांगल जनपद सहारनपुर को ग्राम बसेडा के सामने मुजफ्फरनगर-सहारनपुर हाईवे से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से एक अवैध तमंचा .315 बोर मय 01 जिन्दा कारतूस .315 बोर बरामद हुए। बरामदगी के आधार पर थाना नांगल पर अभियुक्त के विरुद्ध मु0अ0सं0 419/25 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही कर मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

कन्हैया कपिल पुत्र अमर कपिल निवासी ग्राम बसेडा थाना नांगल जनपद सहारनपुर।

बरामदगी का विवरण:-

➤ 01 तमंचा .315 बोर मय 01 कारतूस जिन्दा .315 बोर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का नाम:-

1. थाना प्रभारी श्री राजकुमार चौहान थाना नांगल जनपद सहारनपुर।
2. उ0नि0 श्री योगेन्द्र सिंह थाना नांगल जिला सहारनपुर।
3. है0का0 936 रविन्द्र सिंह थाना नांगल जिला सहारनपुर।
4. का0 38 विक्रान्त तेवतिया थाना नांगल जिला सहारनपुर।



-प्रेस नोट-
“ऑपरेशन सवेरा”

दिनांक- 22.12.2025



“नशे के अंधकार से जीवन के उजाले की ओर”

!! सहारनपुर पुलिस की नशा तस्करो के विरुद्ध बड़ी कार्यवाही !!

थाना देवबन्द, सहारनपुर पुलिस द्वारा मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले 01 शातिर नशा तस्कर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 12.5 ग्राम अवैध स्मैक बरामद

अवगत कराना है कि श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक, सहारनपुर परिक्षेत्र, सहारनपुर द्वारा परिक्षेत्र सहारनपुर में मादक पदार्थों /नशे के अवैध कारोबार, प्रतिबन्धित दवाओं की तस्करी, बिक्री पर प्रभावी रोकथाम के लिए ठोस एवं समन्वित कार्यवाही हेतु परिक्षेत्र सहारनपुर के तीनो जनपदों में “ऑपरेशन सवेरा – ”नशे के अंधकार से जीवन के उजाले की ओर” अभियान चलाया जा रहा है।

इसी क्रम में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी देवबन्द के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री अमरपाल शर्मा के कुशल नेतृत्व में दि० 21.12.25 को रात्रि के समय गस्त व चैकिंग के दौरान थाना देवबन्द पुलिस टीम द्वारा 01 नशा तस्कर परवेज उर्फ बिलोरी पुत्र मुर्तजा निवासी मौहल्ला कोल्हाबस्ती थाना देवबन्द जिला सहारनपुर को 12.5 ग्राम अवैध स्मैक सहित मंगलौर रोड पर शालीनि खुराना के अस्पताल के पीछे नवनिर्मित कॉलोनी के गेट के पास से चैकिंग/ गस्त के दौरान गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना देवबन्द पर मु०अ०सं०-1119/2025 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट में पंजीकृत किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय पेश किया जायेगा।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

1. परवेज उर्फ बिलोरी पुत्र मुर्तजा निवासी मौहल्ला कोल्हाबस्ती थाना देवबन्द जिला सहारनपुर

बरामदगी का विवरण

➤ 12.5 ग्राम अवैध स्मैक

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-

1. मु.अ.स.142/2021 धारा 13 G ACT थाना देवबन्द जिला सहारनपुर
2. मु.अ.स.1119/2025 धारा 8/21 NDPS ACT थाना देवबन्द जिला सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

- 1- उ०नि० श्री अजब सिंह थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर
- 2- हैका1216 ब्रह्मप्रकाश, थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर
- 3- का० 16 पवन सिरोही थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर
- 4- का० 1835 संदीप चिकारा थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर



-प्रेस नोट-

दिनांक 22.12.2025

थाना मण्डी पुलिस द्वारा 01 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 01 नाजायज चाकू बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध नियंत्रण हेतु अवैध अस्लाह रखने वाले व तस्करी की रोकथाम व कारोबार में संलिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री रोजन्त त्यागी के कुशल नेतृत्व में थाना मण्डी पुलिस टीम द्वारा आज दिनांक 22.12.2025 को गस्त व चैकिंग के दौरान 01 अभियुक्त आसिफ पुत्र अमीर अहमद निवासी निकट शाहने अल्लाह मस्जिद मौहल्ला पत्थरवाला शिवधाम कालोनी थाना मण्डी जनपद सहारनपुर को मण्डी समिति में कूड़ाघर के पास से गिरफ्तार किया गया। जिसके कब्जे से 01 नाजायज चाकू बरामद हुआ। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना मण्डी पर मु0अ0सं0- 555/25 धारा-4/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

आसिफ पुत्र अमीर अहमद निवासी निकट शाहने अल्लाह मस्जिद मौहल्ला पत्थरवाला शिवधाम कालोनी थाना मण्डी जनपद सहारनपुर।

बरामदगी का विवरण-

➤ 01 नाजायज चाकू

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 श्री जगपाल सिंह थाना मण्डी जिला सहारनपुर।
2. है0का0 1208 बिजेन्द्र सिंह थाना मण्डी जिला सहारनपुर।



-प्रेस नोट-

दिनांक- 22.12.2025

**थाना नांगल पुलिस द्वारा 01 शराब तस्कर/अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 100 पक्के अवैध
देशी शराब बरामद**

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अवैध मादक/नशीले पदार्थों की रोकथाम एवं इनके कारोबार में संलिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी देवबंद के निकट पर्यवेक्षण में तथा थाना प्रभारी नांगल श्री राजकुमार चौहान के कुशल नेतृत्व में थाना नांगल पुलिस टीम द्वारा आज दिनांक 22.12.2025 को चैकिंग/गश्त के दौरान अभियुक्त **हिमांशु कुमार पुत्र मुनेश कुमार निवासी ग्राम इस्माईलपुर गुर्जर थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर** को ग्राम मीरपुर मोहनपुर को जाने वाले रास्ते से गिरफ्तार किया गया। जिसके कब्जे से 100 पक्के अवैध देशी शराब हरियाणा मार्का बरामद हुई। बरामदगी के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध थाना नांगल पर मु0अ0सं0 420/25 धारा 60/63 आबकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

हिमांशु कुमार पुत्र मुनेश कुमार निवासी ग्राम इस्माईलपुर गुर्जर थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर।

बरामदगी का विवरण:-

100 पक्के देशी शराब हरियाणा मार्का

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का नाम:-

1. थाना प्रभारी श्री राजकुमार चौहान थाना नांगल जिला सहारनपुर।
2. उ0नि0 श्री आशीष कुमार थाना नांगल जिला सहारनपुर।
3. का0 1851 पंकज कुमार थाना नांगल जिला सहारनपुर।
4. हो0गा0 1984 विनोद कुमार थाना नांगल सहारनपुर।



दिनांक 22.12.2025

-प्रेस नोट-

थाना सरसावा पुलिस द्वारा ट्यूबवैल चोरी के मुकदमें में 01 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 1.26 किलोग्राम तांबे का तार बरामद

अवगत कराना है कि दिनांक 30.11.2025 को वादी श्री मदन कुमार S/O श्री मंगलू निवासी ग्राम शेखपुरा थाना सरसावा सहारनपुर द्वारा थाना सरसावा उपस्थित आकर एक लिखित तहरीर बाबत अज्ञात चोर द्वारा वादी की ट्यूबवैल से बिजली की मोटर की तार चोरी करने करने के सम्बन्ध में थाना सरसावा पर मु0अ0सं0 513/25 धारा 303(2) बीएनएस पंजीकृत कराया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में गौकशी/लूट/चोरी/नकबजनी/छिनैती आदि आपराधिक घटनाओं की रोकथाम व इन घटनाओं में संलिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा लगातार संघन चैकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी नकुड के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री संजीव कुमार के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 22.12.2025 को थाना सरसावा पुलिस टीम द्वारा उपरोक्त चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुए मुकदमा उपरोक्त में प्रकाश में आये 01 वांछित अभियुक्त **शोबान पुत्र शहीद नि0 ग्राम चोराखुर्द थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर** को ग्राम माजरी कलां की तरफ जाने वाले खंडजे से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 1.26 किलोग्राम तांबे का तार बरामद हुआ। मुकदमा उपरोक्त में बरामदगी के आधार पर धारा 317(2) बीएनएस की वृद्धि की गयी। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

शोबान पुत्र शहीद नि0 ग्राम चोराखुर्द थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर।

बरामदगी का विवरण

➤ 01.260 किलोग्राम तांबे का तार

गिरफ्तार अभियुक्त का अपराधिक इतिहास:-

1. मु0अ0सं0 120/23 धारा 63 आब0 अधि0 थाना सरसावा सहारनपुर।
2. मु0अ0सं0 392/24 धारा 63 आब0 अधि0 थाना सरसावा जनपद सहारनपुर।
3. मु0अ0सं0 175/25 धारा 305(a)/317(2) बीएनएस थाना सरसावा जनपद सहारनपुर।
4. मु0अ0सं0 249/25 धारा 63 आब0 अधि0 थाना सरसावा जनपद सहारनपुर।
5. मु0अ0सं0 513/25 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना सरसावा सहारनपुर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री संजीव कुमार थाना सरसावा सहारनपुर।
2. उ0नि0 श्री महेश सिंह थाना सरसावा सहारनपुर।
3. का0 2525 अनूप सिंह थाना सरसावा सहारनपुर।
4. का0 2413 जगदीश कुमार थाना सरसावा सहारनपुर।